भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 976
जिसका उत्तर शुक्रवार, 25 जुलाई, 2025 को दिया जाना है

विदेशी विधिक फर्मों और वकीलों से संबंधित नियम

976. श्री टी. एम. सेल्वागणपति :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने विदेशी विधिक फर्मों और वकीलों को भारत में प्रैक्टिस करने की अनुमति देने वाले नियम जारी किए हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या भारत का पूरा विधिक समुदाय वर्ष 2000 से विदेशी विधिक फर्मों या वकीलों को भारत में प्रैक्टिस करने की अनुमति देने के खिलाफ है ;

(घ) क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मार्च 2018 में ही यह फैसला सुनाया था कि विदेशी विधिक फर्मों और दूसरे देशों के वकील देश में मुकदमेबाजी या गैर-मुकदमेबाजी, दोनों ही मामलों में वकालत नहीं कर सकते है ; और

(ङ) क्या भारतीय वकीलों को योग्यता परीक्षा, अनुभव प्रमाण और वर्क परमिट जैसे कठोर प्रतिबंधों का पालन किए बिना ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आदि जैसे कई देशों में प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं थी ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख) : भारतीय विधिज्ञ परिषद् ने "भारत में विदेशी अधिवक्ताओं और विदेशी लॉ फर्मों के रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन हेतु नियम, 2022" तैयार किए हैं, जिन्हें 10 मार्च, 2023 को राजपत्र में सम्यक् रूप से प्रकाशित किया गया था । ये नियम तत्पश्चात् मई, 2025 में संशोधित किए गए अधिसूचना संख्या बीसीआई:डी:3335/2025 के द्वारा पुनः अधिसूचित किए गए। ये नियम विदेशी अधिवक्ताओं या लॉ फर्मों को सामान्य अर्थों में "भारत में विधि व्यवसाय" करने की अनुमति नहीं देते हैं । किंतु ये नियम विदेशी विधि, अंतर्राष्ट्रीय विधि और

अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थम् से संबंधित गैर-मुकदमेबाजी के संबंध में सलाह देने संबंधी कार्यों तक ही उनके नियोजन को सख्ती से विनियमित और सीमित करते हैं।

(ग) : भारतीय अधिवक्ताओं और भारतीय लॉ फर्मों के एक विशाल बहुमत ने भारतीय विधिज्ञ परिषद् के विनियमों को हर्ष से स्वीकार कर लिया है और उनका स्वागत किया है, जिससे विदेशी अधिवक्ताओं और लॉ फर्मों को सीमित क्षेत्र और गैर-मुकदमेबाजी वाले मामलों में विधि व्यवसाय करने की अनुमति मिल गई है, क्योंकि भारतीय अधिवक्ताओं और लॉ फर्मों को भी विदेशों में समान लाभ मिलने से लाभ होगा।

(घ) : उच्चतम न्यायालय ने भारतीय विधिज्ञ परिषद् बनाम ए.के. बालाजी और अन्य मामले में "विधि-व्यवसाय" का अधिप्रमाणित और बाध्यकारी निर्वचन किया है, जिसमें मुकदमेबाजी और गैर-मुकदमेबाजी, दोनों प्रकार की सेवाएं सम्मिलित हैं। इसके लिए ऐसे सभी क्रियाकलापों के लिए अधिवक्ता अधिनियम का अनुपालन आवश्यक था। भारतीय विधिज्ञ परिषद् द्वारा 2022 में बनाए गए और 2025 में संशोधित नियम, भारतीय विधिक वृत्ति को नियंत्रित करने वाले कानूनी आदेश और संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप, विदेशी विधिक सलाहकार सेवाओं के विनियमन हेतु एक विधिक रूप से सुदृढ़ और संकीर्ण रूप से तैयार प्रणाली बनाकर इस निदेश को लागू करते हैं।

(ङ) : हां, भारतीय अधिवक्ताओं को अर्हता परीक्षण, अनुभव, कार्य परमिट, आदि जैसे कठिन प्रतिबंधों को पूरा करने के अतिरिक्त यू.के., यू.एस.ए., ऑस्ट्रेलिया और अन्य विदेशी देशों में विधिक व्यवसाय करने की अनुमति नहीं है।

****